सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 पौष, 1937 (श०)

संख्या **92** राँची, बुधवार

23 दिसम्बर, 2015 (ई०)

खान एवं भूतत्व विभाग ।

संकल्प

22 दिसम्बर, 2015

विषय **:-** झारखण्ड राज्य अन्तर्गत खनन पट्टेधारियों**,** पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तिधारी –सह– खनन पट्टेधारियों से स्वामिस्व की राशि के समतुल्य दो प्रतिशत **(2%)** अंशदान National Mineral Exploration Trust (NMET) Fund में प्राप्त करने के संबंध में ।

संख्या – ख0 नि0 (विविध) 226/2015-2729/ एम., राँची,--- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम 2015 की धारा 9C अन्तर्गत National Mineral Exploration Trust (NMET) का गठन किया गया है जिसके अन्तर्गत खनिज से प्राप्त स्वामिस्व की राशि का दो प्रतिशत (2%) खनिज पट्टेधारियों से दिनांक 12 जनवरी, 2015 की भूतलक्षी प्रभाव से प्राप्त किया जाना है ।

2. भारत सरकार खान मंत्रालय के अधिसूचना संख्या GSR/632(E) दिनांक 14 अगस्त, 2015 द्वारा National Mineral Exploration Trust Rules, 2015 अधिसूचित किया गया है ताकि National Mineral Exploration Trust (NMET) Fund में खनन पट्टेधारियों से इस Trust द्वारा संचालित बैंक खाता में अंशदान प्राप्त किया जा सके ।

3. सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार ने भी वृहत खनिज के सभी खनन पट्टेधारियों, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तिधारी –सह– खनन पट्टेधारियों से खनिज के स्वामिस्व की राशि के दो प्रतिशत (2%) के समतुल्य राशि को National Mineral Exploration Trust (NMET) Fund में अंशदान लेने का निर्णय लिया है। यह राशि भारत सरकार द्वारा स्थापित NMET Fund में नीचे अंकित बैंक, खाता संख्या, खाते का नाम, शाखा, IFSC Code में संबंधित जिला/सहायक खनन पदाधिकारियों द्वारा पट्टेधारियों, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तिधारी –सह– खनन पट्टेधारियों से प्राप्त कर प्रत्येक माह 10 तारीख तक अचूक रूप से जमा कराया जायेगा एवं उसकी विवरणी (पट्टेधारीवार) खान एवं भूतत्व विभाग एवं निदेशक खान को प्रत्येक माह उपलब्ध करायी जाएगी ।

बैंक खाते की विवरणी

बैंक का नाम – भारतीय स्टेट बैंक
खाता का नाम – National Mineral Exploration Trust (NMET)
चालू खाता संख्या – 35197602182
शाखा – मुख्य Branch (691,11 संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001)
IFSC Code – SBIN0000691

4. सहायक जिला खनन पदाधिकारियों द्वारा किसी भी पट्टेधारी से स्वामिस्व के दो प्रतिशत (2%) के समतुल्य राशि National Mineral Exploration Trust (NMET) में प्राप्त किये बगैर स्वामिस्व की राशि प्राप्त नहीं की जाएगी एवं दिनांक 12 जनवरी, 2015 से उक्त राशि की गणना कर पूर्व के बकाये को National Mineral Exploration Trust (NMET) Fund में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह० / -(आस्पष्ट),

सरकार के उप-सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 92—50 ।